रजिस्टर सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1981 (आषाढ़ 27, 1903)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1981 (ASADHA 27, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . .	489
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	897
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	927
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क-अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	1345
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	1851
भाग II—खंड 3-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ) (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं . .	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	247
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . . .	8511
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	391
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	75
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1869
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	137
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	489
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	897
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	927
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1345
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1851
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	—
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	247
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8511
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	391
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	75
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1569
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	137
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1981

सं० 36-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय पुलिस बल तथा मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ध्रुव मिश्र,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय जिला, मणिपुर।
श्री लाल चन्द,
नायक,
29वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।
श्री पृथी चन्द,
कांस्टेबल,
29वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 फरवरी, 1980 को काफी रात गये सूचना मिली कि अनेक हत्याओं और बैंक डकैती आदि को लूटने के लिये उत्तरदायी 15–20 विद्रोहियों का एक जबरदस्त गिरोह मणिपुर में कौनू पहाड़ी के जंगल के भीतरी भाग में डेरा डाले हुए था। श्री ध्रुव मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री लाल चन्द, नायक तथा श्री पृथी चन्द, कांस्टेबल का एक पुलिस दल रात के 11.30 बजे विद्रोहियों के छिपने के स्थान की ओर रवाना हुआ। गांव कांगलाटोंगबी तक वाहन पर यात्रा करने के बाद उन्होंने 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। छापामार पुलिस दल की एक प्लाटून गांव माखन का घेरा डालने के लिये तैनात की गई ताकि उसके निवासी, जो विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले समझे जाते थे, प्रातःकाल तक अपने घरों से बाहर न निकल सकें। छापामार दल घने जंगल में लगभग 4 घंटे पैदल चलने और बहुत सी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद 16-2-1980 को प्रातः लगभग 4 बजे विद्रोहियों के अड्डे के निकट पहुंचा। छापामार दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया जिनका नेतृत्व क्रमशः श्री ध्रुव मिश्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप कमांडेंट और दो पुलिस निरीक्षकों ने किया। श्री पृथी चन्द छापामार दल के अग्रणी प्रहरी थे। जब छापामार दल अड्डे से लगभग 50 गज की दूरी पर था, तो अग्रणी प्रहरी कांस्टेबल पृथी चन्द को उग्रवादियों ने देख लिया और उन पर गोली चलाई। कांस्टेबल पृथी चन्द की टांग में गोली लगी और वे घायल हो गये। उन्होंने तुरन्त मोर्चा संभाला और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए जवाब में गोली चलाई। कांस्टेबल पृथी चन्द के समीप छिपे हुए एक विद्रोही ने संगीन से उन पर आक्रमण किया किन्तु अग्रणी दल के द्वितीय प्रहरी ने विद्रोही पर गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। गोली चलने की आवाज सुनकर विद्रोहियों ने तुरन्त मोर्चा संभाला और छापामार दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। उन्होंने नायक लाल चन्द के मोर्चे पर एक हथगोला फैंका जो फटा नहीं। नायक लाल चन्द ने तुरन्त बिना फटे हथगोले को उठाया और उसे दूर फैंक दिया, जहां वह फौरन फट गया। यदि नायक लाल चन्द यह कार्रवाई नहीं करते तो हथ-गोले के विस्फोट से भारी क्षति होती। एक विद्रोही ने एल० एम० जी० से गोली चला रहे कांस्टेबल थावर सिंह को गोली मारने की कोशिश की किन्तु उसे छापामार दल के एक अन्य कांस्टेबल द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। इसी दौरान श्री ध्रुव मिश्र और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप कमांडेंट के नेतृत्व में अन्य दलों ने विद्रोहियों के अड्डे पर आक्रमण किया। छापामार दल का साहस देखकर विद्रोहियों का मनोबल टूट गया और वे पूरी तरह आतंकित होकर भारी मात्रा में गोला बारूद आदि छोड़कर विभिन्न दिशाओं में भाग निकले। घने जंगल में कम प्रकाश होने के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सका।

इस मुठभेड़ में श्री ध्रुव मिश्र, श्री लाल चन्द तथा श्री पृथी चन्द ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 फरवरी, 1980 से दिया जायेगा।

सं० 37-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री के० बाबू,
कांस्टेबल,
29वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।
श्री एम० एम० पूवइया,
कांस्टेबल,
29वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पुलिस पदक प्रदान किया गया।

15 फरवरी, 1980 को काफी रात गये सूचना मिली कि अनेक हत्याओं, बैंक आदि लूटने के लिये उत्तरदायी विद्रोहियों का एक जबरदस्त गिरोह मणिपुर में कौनू पहाड़ी के भीतरी जंगल में डेरा डाले हुए था। श्री ध्रुव मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मणिपुर और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप कमांडेंट के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने, जिसमें श्री के० बाबू और श्री एम० एम० पूवइया शामिल थे, विद्रोहियों के छिपने के स्थान का पता लगाने और उन्हें बन्दी बनाने के लिये रात्रि के 11.30 बजे प्रस्थान किया। पुलिस दल 16 फरवरी, 1980 को प्रातः लगभग 4 बजे विद्रोहियों के अड्डे के निकट पहुंचा। इसे तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया। कांस्टेबल के० बाबू, कांस्टेबल पृथी चन्द के नेतृत्व में छापामार टुकड़ी के प्रहरी थे। जब छापामार दल विद्रोहियों के अड्डे से लगभग 50 गज की दूरी पर था, तो विद्रोहियों ने कांस्टेबल पृथी चन्द को देख लिया और उन्होंने उस पर गोली चला दी। गोली श्री पृथी चन्द की टांग में लगी। श्री पृथी चन्द ने तुरन्त मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलाई। इस बीच कांस्टेबल पृथी चन्द के मोर्चे के नजदीक छिपे एक दूसरे विद्रोही ने उन पर संगीन से प्रहार किया। परन्तु छापामार दल के दूसरे प्रहरी श्री के० बाबू ने उस विद्रोही पर आक्रमण किया और उसे घटनास्थल पर मार गिराया। एक विद्रोही ने एल० एम० जी० चलाने वाले कांस्टेबल को गोली मारने का प्रयत्न किया। परन्तु विद्रोही के एल० एम० जी० चलाने वाले कांस्टेबल के मोर्चे के पास पहुंचने से पहले श्री एम० एम० पुवइया ने उसे गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बीच श्री ध्रुव मिश्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के डिप्टी कमांडेंट और दो पुलिस निरीक्षकों ने नेतृत्व में तीन पुलिस दलों ने विद्रोहियों के छिपने के स्थान पर छापा मारा, जो हथियार व गोला-बारूद छोड़कर घने जंगल की ओर भाग गये। गोला बारूद को छापामार दल ने अपने कब्जे में ले लिया।

इस मुठभेड़ में श्री के० बाबू और श्री एम० एम० पूवइया ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 फरवरी, 1980 से दिया जायेगा।

सं० 38-प्रेज/81—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० सुनील चन्द्र शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 फरवरी, 1980 को काफी रात गये सूचना मिली कि अनेक हत्याओं, बैंक इत्यादि लूटने के लिये उत्तरदायी 15–20 विद्रोहियों का एक सशक्त गिरोह मणिपुर में कौनू पहाड़ी के भीतरी जंगल में डेरा डाले हुए था। पुलिस के एक दल ने 11.30 बजे विद्रोहियों के छिपने के स्थान की ओर प्रस्थान किया। गांव कांगलाटेंगबा तक वाहनों में यात्रा करने के बाद वे लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर पैदल चले। विद्रोहियों के हमदर्द समझे जाने वाले माखन गांव के ग्रामीणों को दिन निकलने तक अपने अपने घरों के अन्दर रखने के उद्देश्य से छापामार पुलिस दल की एक प्लाटून को गांव को घेरने के लिये तैनात किया गया। छापामार दल घने जंगल के बीच लगभग 4 घंटे पैदल चलने और बहुत सी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद 16-2-1980 को प्रातः लगभग 4 बजे विद्रोहियों के अड्डे के पास पहुंचा। छापामार दल तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया। इनमें से दो टुकड़ियों का नेतृत्व उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मणिपुर ने किया तथा तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व श्री सुनील चन्द्र शर्मा और श्री एन० एम० थपलियाल ने किया। जब छापामार दल अड्डे से लगभग 50 गज की दूरी पर था तो अग्रणी प्रहरी पर गोली चलाई गई और टांग में गोली लगने से वह जख्मी हो गया। उसने तुरन्त मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलाई। विद्रोहियों ने पुलिस दल के एक सदस्य पर एक हथगोला भी फैंका, परन्तु यह फटा नहीं। एक विद्रोही ने उस कांस्टेबल को भी गोली मारने की कोशिश की, जो एल० एम० जी० चला रहा था। परन्तु उस विद्रोही को गोली से मार दिया गया। इस बीच तीनों पुलिस दलों ने जिनमें से एक का नेतृत्व श्री सुनील चन्द्र शर्मा कर रहे थे, विद्रोहियों को जिन्दा पकड़ने के लिये उनके अड्डे पर आक्रमण कर दिया। पुलिस अधिकारियों के साहस को देखकर विद्रोहियों

का मनोबल टूट गया और वे हथियार तथा गोला-बारूद छोड़कर विभिन्न दिशाओं में भाग गये।

इस मुठभेड़ में श्री एस० सुनील चन्द्र शर्मा ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 फरवरी, 1980 से दिया जायेगा।

सं० 39-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहम्मद बद्रु रहमान,
कांस्टेबल सं० 700060493
ग्रुप सेंटर,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
इम्फाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

26 अप्रैल, 1980 को लगभग 10.00 बजे जब ग्रुप सेंटर इम्फाल के पानी के ट्रक का एक अनुरक्षक दल इम्फाल जीरीबाम सड़क के जंक्शन पर ग्रुप सेंटर के कार्मिकों के सड़क के निकटवर्ती घरों में पानी वितरित करके चलने वाला था तो उस पर आठ से दस कट्टर उग्रवादियों ने हमला किया एक कांस्टेबल को घटनास्थल पर मार दिया गया। हैडकांस्टेबल एस० एम० राजे ट्रक के अनुरक्षक दल का सदस्य था। इन्होंने मोर्चा संभाला। और उग्रवादियों के जवाब में गोली चलाई। उसी समय उन्होंने कांस्टेबल बस बहादुर को तुरन्त कैम्प में जाने और कुमुक लाने के लिये कहा। परन्तु श्री राजे पर पीछे से हमला किया गया और उन्हें गोली से मार दिया गया। उसी समय पानी के ट्रक के बांई और खड़े श्री आर० ए० हजारिका नामक एक अन्य कांस्टेबल को भी गोली से मार दिया गया। पानी के ट्रक के सामने वाहिनी ओर से कांस्टेबल मोहम्मद बद्रु रहमान ने उग्रवादियों पर कुछ गोलियां चलाई। किन्तु इस दौरान उग्रवादी एक जीप की ओर पीछे हट गये, जो उनको बचा कर ले जाने के लिये तैयार खड़ी गई थी। उनमें से कुछ उग्रवादी निकटवर्ती गांव को भाग गये जबकि उनमें से छः से सात उग्रवादी पटसोई (भाग-1) गांव की ओर जीप में भाग गये। अपने जीवन के लिये उपस्थित खतरे की परवाह किये बिना श्री बद्रु रहमान पानी के ट्रक से कूदे और उन्होंने निकटवर्ती वृक्ष की ओट लेकर उग्रवादियों की भागती हुई जीप पर गोली चलाई। ये ट्रक की बाईं ओर उबड़खाबड़ धरती पर हो लिये और जीप का पीछा करते हुए उस पर गोली चलाते रहे। उसी क्षण उस रास्ते से गुजरते हुए ग्रुप सेंटर के एक ट्रक को उन्होंने देखा और उस ट्रक के रक्षा दल को मुठभेड़ के विषय में सूचित किया। उस ट्रक के रक्षक दल ने कार्यवाही शुरू कर दी और उग्रवादियों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। लगभग तीन सौ गज चलने के पश्चात् जीप अचानक रुक गई और उग्रवादियों को इसे धकेलना पड़ा। श्री मोहम्मद बद्रु रहमान ने अवसर का लाभ उठाया और जीप पर गोली चलाई। उग्रवादी गांव में भाग गये और उन्होंने झोंपड़ियों की आड़ लेकर गोली चलानी आरम्भ कर दी। श्री बद्रु रहमान अपने जीवन के खतरे की बिल्कुल परवाह न करके उग्रवादियों का पीछा करते रहे और उग्रवादियों में से एक (जीप के ड्राइवर) को मार दिया। जब उग्रवादी गांव की ओर बच कर भागने का प्रयत्न कर रहे थे तो कुमुक की सहायता से दो और उग्रवादियों को गोली से मार दिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद बद्रु रहमान ने उत्कृष्ट, वीरता, असाधारण साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अप्रैल, 1980 से दिया जायेगा।

खेम राज गुप्त,
राष्ट्रपति का उप सचिव

विविध, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी कार्य विभाग
नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जून 1981

आदेश

सं० 27(26)81-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा 209 क के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है:

1. श्री एन० रंगानाथासामी उप-निदेशक निरीक्षण
2. श्री एन० आर० सिरीधरन निरीक्षण अधिकारी।

2 केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० रंगानाथासामी निरीक्षण अधिकारी कलकत्ता एवम् श्री एन० आर० सिरीधरन सहायक निरीक्षण अधिकारी कलकत्ता के पक्ष में पहले के प्रेषित आदेश संख्या 27(5)76 सी०एल०-2 दिनांक 12-8-76 एवम् 27(5) सी०एल०-2 दिनांक 16-11-1976 के प्राधिकरण को रद्द करती है।

के० आर० ए० एस० अय्यर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1981

संकल्प

सं० 80-टी० जी०-III /634/2/सी० एस०—भारत सरकार ने श्री अलक राज पाण्डेय, एडवोकेट, ब्लाक बगला रोड, पटना का राष्ट्रीय रेलवे खानपान परामर्श परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र 16-5-81 से स्वीकार कर लिया है तथा श्री रघुनन्दन तिवारी, 306-रेल निवास, स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली को 20-5-81 से उपर्युक्त परिषद् का नया सदस्य मनोनीत किया गया है।

यह इस मंत्रालय के दिनांक 10-2-1981 के संकल्प सं० 80-टी० जी०-III/634/2/सी० एस० के आंशिक संशोधन में है।

हिम्मत सिंह, सचिव रेलवे बोर्ड
एवं पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th July 1981

No. 36-Pres./81.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force and Manipur Police :—

Names and ranks of officers

Shri Dhruva Mishra,
Additional Superintendent of Police,
Central District, Manipur.

Shri Lal Chand,
Naik,
29th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Prithi Chand,
Constable,
29th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th February, 1980, late at night information was received that a 15 to 20 men strong gang of insurgents said to be responsible for a number of killings, looting of Banks, etc. was camping in the interior jungle of Kaunu hill in Manipur. A police party consisting of Shri Dhruva Mishra, Additional Superintendent of Police, Central District, Manipur, Shri Lal Chand, Naik, 29th Battalion, Central Reserve Police Force and Shri Prithi Chand, Constable, 29th Battalion, Central Reserve Police Force left for the hide-out of the insurgents at 2330 hours. After travelling in vehicles upto village Kanglatongbi they marched a distance of 12 to 15 kms. on foot. In order to keep the villagers indoors till dawn, one platoon of the police party was deployed to encircle village Makhan, the residents of which were considered to be sympathisers of the insurgents. The raiding party after walking on foot for about 4 hours through the thick forest and climbing many steep hills reached near the camp of the insurgents at about 4 A.M. on 16-2-1980. The raiding party was divided into three groups, one of which was led by Shri Dhruva Mishra, another by Deputy Commandant of Central Reserve Police Force and the third by two Inspectors of Police. Shri Prithi Chand was the leading scout of the raiding party. When the raiding party was at a distance of about 50 yards from the camp, the leading scout constable Prithi Chand was spotted by the extremists and was fired upon. Constable Prithi Chand was wounded by the bullet on the leg. He immediately took up position and returned the fire without caring for his personal safety. One insurgent who was hiding near the position of Constable Prithi Chand charged at him with a bayonet but the second scout in the leading party fired at the insurgent and killed him on the spot. On hearing the sound of firing, the insurgents immediately took positions and started firing on the raiding party. They threw one hand grenade on the position of Naik Lal Chand which did not explode. Naik Lal Chand immediately removed the unexploded grenade and threw it away where it immediately exploded. But for this action of Naik Lal Chand, explosion of the grenade would have caused heavy casualties. One insurgent tried to shoot Constable Thawar Singh who was firing LMG but he was shot down by another Constable of the raiding party. In the meantime, other parties headed by Shri Dhruva Mishra and the Deputy Commandant, Central Reserve Police Force, charged on the camp of the insurgents. On seeing the courage of the raiding party the insurgents were demoralised and ran away in different directions in complete panic leaving behind huge quantity of arms and ammunition. They could not be apprehended due to poor visibility in the thick forest.

In this encounter Shri Dhruva Mishra, Shri Lal Chand and Shri Prithi Chand exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th February, 1980.

No. 37-Pres./81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and ranks of officers

Shri K. Babu,
Constable,
29th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri M. M. Poovaiah,
Constable,
29th Battalion,
Central Reserve Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th February, 1980, late at night information was received that one strong gang of insurgents said to be responsible for a number of killings, looting of Banks etc., was camping in the interior jungle of Kaunu hill in Manipur. A police party consisting of Shri K. Babu, Constable, 29th Battalion, Central Reserve Police Force and Shri M. M. Poovaiah, Constable, 29th Battalion, Central Reserve Police Force and led by Shri Dhruva Mishra, Additional Superintendent of Police, Manipur and a Deputy Commandant of Central Reserve Police Force, left for the hide-out of the insurgents at 2330 hours in order to apprehend them. The police party reached near the camp of the insurgents at about 4 A.M. on 16th February, 1980. It was divided into three groups. Constable K. Babu was a scout in the raiding party led by Constable Prithi Chand. When the raiding party reached a distance of about 50 yards from the camp of the insurgents, Constable Prithi Chand was spotted by the insurgents who fired at him and hit him in the leg. Constable Prithi Chand immediately took position and returned the fire. In the meantime, another insurgent who was hiding near the position of Constable Prithi Chand charged at him with a bayonet but Shri K. Babu who was the second scout in the raiding party charged at the insurgent and killed him on the spot. An insurgent tried to shoot the Constable who was manning the LMG. But before the insurgent could approach the L.M.G. position, he was shot at by Shri M. M. Poovaiah and was killed. In the meantime the three police parties led by Shri D. Mishra, a Deputy Commandant of Central Reserve Police Force and two Inspectors of Police raided the hide-out of the insurgents, who fled away in the thick forest leaving behind arms and ammunition which was captured by the raiding party.

In this encounter Shri K. Babu and Shri M. M. Poovaiah exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th February, 1981.

No. 38-Pres./81.—The President is pleased to award the Bar to President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name and rank of officer

Shri S. Sunil Chandra Sharma,
Inspector of Police,
Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th February, 1980, late at night information was received that one 15 to 20 men strong gang of insurgents said to be responsible for a number of killings, looting of Banks etc., was camping in the interior jungle of Kaunu hill in Manipur. A police party left for the hide-out of the insurgents at 2330 hrs. After travelling in vehicles upto village Kanglatongbi they marched a distance of 12 to 15 kms. on foot. One platoon of the raiding police party was deployed to encircle village Makhan, the residents of which were considered to be sympathisers of the insurgents, in order to keep the villagers indoors till dawn. The raiding party after walking on foot for about 4 hours through the thick forest and climbing many steep hills reached near the camp of the insurgents at about 4 A.M. on 16-2-1980. The raiding party was divided into three groups. While two of

these groups were led by the Deputy Commandant, CRPF, and Additional Supdt. of Police, Manipur, the third group was led by Shri Sunil Chandra Sharma and Shri N. M. Thapaliyal. When the raiding party was at a distance of about 60 yards from the camp, the leading scout was fired upon and was wounded by the bullet on the leg. He immediately took up position and returned the fire. The insurgents also threw one hand grenade on a member of the Police party but it did not explode. One of the insurgents also tried to shoot the Constable who was manning the LMG. But the insurgent was shot dead. In the meantime the three Police parties, one of which was headed by Shri Sunil Chandra Sharma charged on the Camp of the insurgents to capture them alive. Seeing the courage of the Police Officers the insurgents were demoralised and ran away in different directions leaving behind arms and ammunition.

2. In this encounter Shri S. Sunil Chandra Sharma exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Bar to President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th February, 1980.

No. 39-Pres./81.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of officer

Shri Mohamed Badru Rehman,
Constable No. 700060493,
Group Centre,
Central Reserve Police Force,
Imphal, Manipur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 26th April, 1980, at about 1000 hours when an escort party of water truck of the Group Centre, Imphal, was about to start after having distributed water to the roadside houses of Group Centre personnel on the junction of Imphal-Jiribam Road, they were attacked by eight to ten hard core extremists. One constable was killed on the spot. The Head Constable S. M. Raje, who was one of the members of the escort party accompanying the truck, took up position and returned the fire of the extremists. Simultaneously he asked Constable Bal Bahadur to rush to the camp to get reinforcement. But Shri Raje was attacked from behind and was shot dead. At the same time, another Constable named R. A. Hazarika, who was on the left side of the water truck, was also shot dead. Constable Mohamed Badru Rehman, who was on the right front of the water truck, fired a few rounds on the extremists. But in the meantime, the extremists withdrew towards a jeep which had been kept ready for their escape. Some of the extremists ran into a nearby village while six to seven of them sped away in the jeep towards village Patsoi (Part I). In disregard of the danger involved to his life, Shri Badru Rehman jumped from the water truck and fired at the speeding jeep of the extremists by taking the cover of a nearby tree. He got into uneven broken ground to the left of the truck and kept on chasing the jeep and firing at it. At that moment, he spotted one truck of Group Centre which happened to pass that way and informed the escort party of the truck about the encounter. The escort party of the truck went into action and started firing on the extremists. After about 300 yards, the jeep suddenly stopped and the extremists had to push it. Shri Mohamed Badru Rehman availed of this opportunity and fired at the jeep. The extremists ran into the village and started firing from behind the cover of huts. Shri Badru Rehman continued to follow the extremists in utter disregard of the danger to this own life and killed one of the extremists (driver of the jeep). With the help of the reinforcement, two more extremists were shot dead while they were trying to escape towards the village.

2. In this encounter, Shri Mohamed Badru Rehman exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a very high order.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th April, 1980.

K. R. GUPTA
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 26th June 1981

ORDER

No. 27(26)81-CL-II—In pursuance of Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of Government of India, in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209-A :—

(1) Shri N. Ranaganathasamy, Deputy Director (Inspection)

(2) Shri N.R. Sridharan, Inspecting Officer.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri N. Ranganathasamy as Inspecting Officer, Calcutta and also of Shri N.R. Sridharan as Assistant Inspecting Officer, Calcutta vide this Department's Order No. 27(5) 76-CL-II dated the 16-11-76 and 27(5)76-CL-II dated the 12-8-76.

K. R. A. N. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th June 1981

RESOLUTION

No. 80.TGIII/634/2/CS—The Government of India have accepted the resignation tendered by Shri Alak Raj Pandey, Advocate, Dak Bangla Road, Patna from Membership of the National Railway Catering Consultative Council with effect from 16-5-1981 and nominated Pt. Ragunandan Tiwary, 306-Rail Niwas, State Entry Road, New Delhi as a new Member to the aforesaid Council with effect from 20-5-1981.

This is in partial modification of this Ministry's Resolution No. 80-TGIII/634/2/CS dated 10-2-1981.

HIMMAT SINGH,
Secy. Railway Board,
and *ex-officio* Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981